सातवां अध्याय

शासकीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियॉ

7.1 सामान्य

यह अध्याय शासकीय कम्पनियों एवं सांविधानिक निगमों की लेखा परीक्षा के परिणामों से संबंधित है । कंडिका एक शासकीय कम्पनियों एवं सांविधानिक निगमों की एवं कंडिका दो विविध रूचिकर विषयों की सामान्य जानकारी देती है ।

7.1.1 शासकीय कम्पनियों एवं सांविधानिक निगमों का विहंगावलोकन

7.1.1.1 परिचय

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश राज्य विभाजित हुआ एवं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना । म.प्र. राज्य के पुनर्गठन पर तीन कम्पनियॉ* एवं एक सांविधिक निगम** विभाजित हुए तथा छत्तीसगढ राज्य को हस्तांतरित हुये । इन कम्पनियों एवं निगमों की संपत्तियों एवं दायित्वों के वितरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी (दिसंबर 2002) छत्तीसगढ राज्य ने भी दो नई कम्पनियां बनायी*** । छत्तीसगढ राज्य में विद्यमान एक कम्पनी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम'''' (रायपुर) मर्यादित को नये निगम के रूप में अप्रैल 2001 में छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित पुनर्नाम दिया गया।

शासकीय कम्पनियों (कम्पनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित अनुसार) के लेखों की लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) द्वारा कम्पनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं , इन लेखाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनियों के अधिनियम, 1956 की धारा

---

* छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम मर्यादित एवं छत्तीसगढ राज्य आपूर्ति निगम मर्यादित ।

** छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल

*** छत्तीसगढ राज्य बैवरेगेस कार्पोरेशन लिमिटेड एवं छत्तीसगढ बुनियादी संरचना विकास निगम मर्यादित ।

'''' औद्योगिक केन्द्र विकास निगम मर्यादित

619(4) के प्रावधानों के अनुसार करायी जाती है। छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2) के अंतर्गत की जाती है । सभी शासकीय कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विवरण परिशिष्ट गगपपएगगपपप एवं गगपअ में दिया गया है ।

7.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उपक्रम (पी.एस.यू.)

7.1.2.1 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उपक्रमों में निवेश

मार्च 2002 के अंत तक कार्यरत 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (6 शासकीय कंपनियॉ एवं 1 सांविधिक निगम) में कुल निवेश इस प्रकार था–

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	कार्यरत उपक्रमों में निवेश			
		इक्विटी	अंश अभ्यावेदन धन	ऋण	योग
2001–02	7	3. 40	1.00	1.00	5.40

सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है ।

मार्च 2002 के अंत तक विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (इक्विटी एवं लंबी अवधि के ऋणों) एवं इसकी प्रतिशतों को निम्नलिखित वृत खंड चार्ट में दर्शाया गया है:

31 मार्च 2002 को कार्यरत शासकीय कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में क्षेंत्रवार निवेश (कोष्ठकों में आंकड़ें निवेश के प्रतिशतों को दर्शाते है)

* छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में निवेश से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उत्तरवर्ती एवं कम्पनियों/निगम की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों का विभाजन नहीं हुआ ।

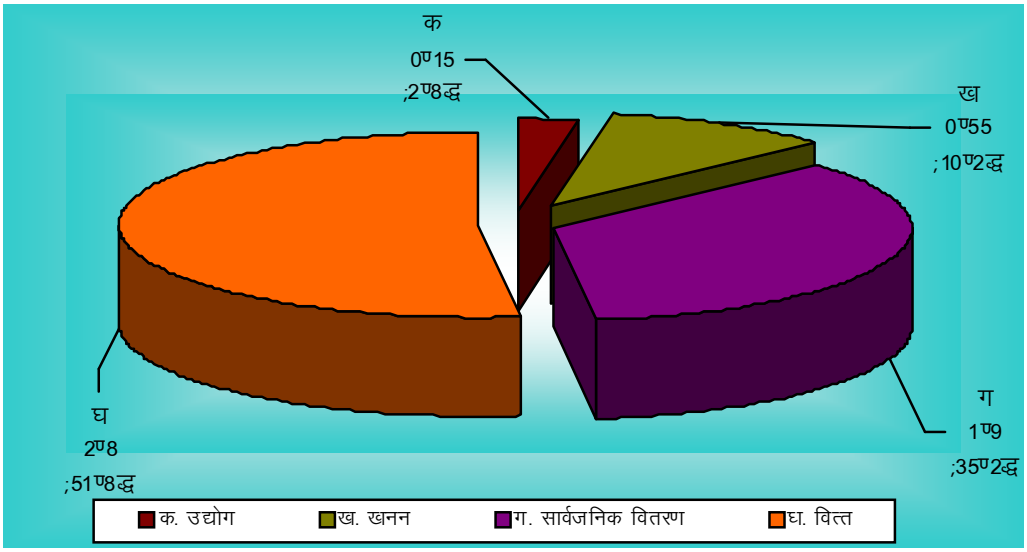

7.1.2.2 कार्यरत शासकीय कम्पनियॉ

मार्च 2002 के अंत तक 6 शासकीय कम्पनियों में कुल निवेश इस प्रकार था –

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	कार्यरत कंपनियों की संख्या	कार्यरत उपकमों में निवेश			
		इक्विटी	अंश अभ्यावेदन धन	ऋणों	योग
2001–02	6	3.40	1.00	1.00	5.40

कार्यरत शासकीय कंपनियों में इक्विटी एवं ऋणों के रूप में शासकीय निवेश की संक्षिप्त स्थिति **परिशिष्ट ग्ग्प्** में दी गई है ।

31 मार्च 2002 को कार्यरत शासकीय कंपनियों में कुल निवेश का इक्विटी में 81 प्रतिशत एवं ऋणों में 19 प्रतिशत समाविष्ट है ।

7.1.2.3 कार्यरत सांविधिक निगम

मार्च 2002 के अंत तक कार्यरत एक सांविधिक निगम यथा छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल में कुल निवेश उपलब्ध नहीं है क्योंकि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मध्य परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का प्रभाजन नहीं हुआ है ।

* छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत में निवेश संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उत्तरवर्ती कम्पनियों/निगम की परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रभाजन नहीं हुआ है ।

7.1.2.4 बजटीय निर्गत, अनुदानों/सबसिडियों, प्रत्याभूतियों, देयताओं का अधित्याग एवं ऋणों का इक्विटी में रूपान्तरण

कार्यरत शासकीय कम्पनियों एवं कार्यरत एक सांविधिक निगम के संबंध में राज्य शासन द्वारा बजटीय निर्गत, अनुदानों/सबसिडियों, जारी प्रत्याभूतियों, देयताओं का अधित्याग एवं ऋणों का इक्विटी में रूपांतरण से संबंधित विवरण **परिशिष्ट–XXII** एवं **XXIV** में दिया गया हैं ।

वर्ष 2001–02 हेतु कार्यरत 4 शासकीय कम्पनियों का राज्य शासन से बजटीय निर्गत (इक्विटी पूंजी एवं ऋणों के रूप में) एवं अनुदानों/सबसीडियॉ निम्नानुसार है –

(राशि करोड़ रूपये में)

	संख्या	राशि
बजट से निर्गत इक्विटी पूंजी	3	2.45
बजट से दिये ऋण	1	1.00
अन्य अनुदान /सहायता	2	10.36
कुल निर्गत	4	13.81

7.1.2.5 सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना

कम्पनियों के अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 एवं 619(ब) सहपठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अंतर्गत संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 महीनों के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु शासकीय कंपनियों के लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिये । यह वित्त वर्ष समाप्ति के 9 महीनों के भीतर विधान मंडल में भी रखे जाते हैं। इसी तरह,सांविधिक निगमों के प्रकरण में उनके लेखों को अंतिम रूप लेखा परीक्षा तथा विधानमंडल को प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

कम्पनियों के अधिनियम, 1956,की धारा 210(4) के अनुसार, कम्पनियों के लेखे समावेशन की तिथि से 18 महीनें के भीतर कम्पनी की प्रथम वार्षिक बैठक में रखे जाते हैं । तीन शासकीय कम्पनियों के लेखे अंतिम रूप दिये

ये कम्पनियों की वास्तविक संख्यायें हैं जिन्होंने वर्ष के दौरान राज्य सरकार से इक्विटी, ऋणों, अनुदानों एवं सबसिडी के रूप में बजटीय सहायता प्राप्त की है ।

जाने हेतु नियत नहीं थे । 2001–02 हेतु सांविधिक निगमों के लेखे बकाया थे ।

7.1.3 प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर

सार्वजनिक क्षत्रों में कार्यरत उपक्रमों की कार्यपद्धति पर प्रारूप कंडिकाएं संबंधित प्रशासकीय विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि एवं इस पर इनके अभिमत 6 सप्ताह के अन्दर प्राप्त करने हेतु अग्रेषित किये जाते हैं । तथापि, संबंधित विभाग को अप्रैल से सितम्बर 2002 की अवधि में दो प्रारूप कंडिकाएँ **परिशिष्ट –XXV** में दिये विवरण के अनुसार अग्रेषित की गई थी, इनके उत्तर अभी तक नहीं दिये गये हैं (दिसम्बर 2002) ।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन सुनिश्चित करे (अ) निर्धारित समय सीमा में प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर भेजने में असफल कर्मचारियों के विरूद्ध विद्यमान प्रक्रियाओं में कार्यवाही की जावे (ब) एक समयबद्ध कार्यक्रम में हानि की वसूली की कार्यवाही की जावे (स) लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के उत्तर देने की व्यवस्था में सुधार किया जाये ।

7.1.4 सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्य) पर चर्चा की स्थिति

छत्तीसगढ राज्य की सार्वजनिक उपक्रमों पर अध्यक्ष सहित 9 सदस्यों की समिति (सी ओ पी यू) 17 अप्रैल 2001 में बनी थी । यहां छत्तीसगढ राज्य से संबंधित कोई लेखा परीक्षा प्रतिवेदन नहीं था, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति नये राज्य से संबंधित उन समीक्षाओं/कंडिकाओं हेतु चर्चा करने की योजना बनाती है जो समग्र मध्य प्रदेश राज्य के 1999–2000 एवं 2000–2001 हेतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यथावत सम्मिलित था ।

अक्टूबर 2002 के अंत तक सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में चर्चा हेतु लंबित लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्य) एवं कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शायी गई है–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित कंडिकाओं की संख्या	चर्चा हेतु लंबित कंडिकाओं की संख्या
	कंडिकायें	**कंडिकायें**
1999–2000	5*	5
2000–2001	7**	7

* दो समीक्षाओं से संबंधित
** एक समीक्षाओं से संबंधित

कंडिकाएँ

छत्तीसगढ़ बुनियादी संरचना विकास निगम मर्यादित (शासकीय कम्पनी)

7.2 रिटैनरशिप शुल्क का निष्फल भुगतान

परामर्शदायी फर्म को बिना कोई सेवाएँ लिये शुल्क के भुगतान के परिणामतः 15.02 लाख रूपये का निरर्थक व्यय

छत्तीसगढ बुनियादी संरचना विकास निगम मर्यादित (कंपनी) रायपुर, ने नई दिल्ली, मुंबई तथा बंगलौर में शाखाएं न खोलते हुए बुनियादी संरचनात्मक अवसरों में कंपनी के हित का निरूपण करने हेतु 2.90 लाख रूपये प्रतिमाह रिटेनरशिप शुल्क पर परामर्शदायी फर्म[1] को नियुक्त किया (सितम्बर 2001) फर्म के निबंधनों के संदर्भ (टी ओ आर) में संपर्क, उन्नयन, सुविधा, सहजता एवं यदि आवश्यक हो तो सहयोग एवं योजना पर सुझाव एवं पूंजी वृद्धि सेवायें देना था ।

15.02 लाख रूपये की बिना परामर्श सेवायें लिये भुगतान निरर्थक सिद्ध हुआ

यह देखा गया कि सितम्बर से नवम्बर 2001 तक फर्म के काम में कमी थी । कंपनी ने फर्म को सूचित किया (जनवरी 2002) कि उस अवधि का पूरा भुगतान किया जाना उचित नहीं होगा । चूंकि उनका प्रदर्शन नहीं सुधरा था । कंपनी के मंडल को (मार्च 2002 एवं मई 2002) सूचित किया कि मुबई एवं बंगलौर स्थित परामर्शदाता के कार्यालयों द्वारा व्यवहारिक रूप से कोई कार्य नहीं किया गया तथा इन दो शहरों में उनकी सेवायें बंद करने का प्रस्ताव किया गया । मंडल ने, तथापि, परामर्शदायी ठेके को मुबई तथा बंगलौर शहरों में उनकी सेवायें मई 2002 तक चालू रखने एवं इसके उपरांत अगस्त 2002 तक दिल्ली कार्यालय हेतु अनुपातिक रेटेनरशिप शुल्क के भुगतान का निर्णय लिया (मई 2002), जो परामर्शदायी फर्म को 15.02 लाख रूपये का अनुचित लाभ देने में परिणत हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून 2002) कि ठेके की शर्तों के अनुसार भुगतान किए गये थे ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जनवरी 2002 में मुबंई एवं बंगलौर में परामर्शदायी फर्म के काम न करने की कंपनी को स्वयं पूरी जानकारी थी । यद्यपि, सितम्बर 2001 से इन शहरों में सेवायें नहीं दी गईं, फिर भी कम्पनी

---

[1] आर आर फाईनेन्सल कन्सलटेंटस लिमिटेड

भुगतान करते समय इन दो क्षेत्रों हेतु रिटेनरशिप शुल्क में अनुपातिक कटौती करने में असफल रहीं । इसके स्थान पर, मई 2002 तक क्षेत्रों में (इन दोनों को सम्मिलित कर) परामर्शदायी सेवा को चालू रखने का निर्णय लिया गया । इसके परिणामतः 15.02 लाख रूपये का निरर्थक भुगतान हुआ ।

प्रकरण शासन को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2002) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2002) ।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सांविधिक निगम)

7.3 शास्ति आरोपित करने में असफलता

ठेकेदार से शास्ति की कटौती न करने से ठेकेदार को अनुचित लाभ

अक्टूबर 1995 में, मंडल ने शक्ति गृह भवन (इकाई 3 और 4) के स्टील संरचनात्मक निर्माण एवं उन्नयन हेतु मे0 भारत इंडस्ट्रीयल वर्क्स, भिलाई को रूपये19.85 करोड़ के कुल मूल्य के ठेके को 20 माह की अवधि के भीतर पूर्ण किये जाने हेतु प्रदाय आदेश दिया । क्योंकि स्थल नवंबर 1995 में सौंपा गया था इसलिये कार्य जुलाई 1997 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था ।

लगभग डेढ़ वर्षों के विलंब उपरान्त कार्य वास्तव में जनवरी 1999 में पूर्ण हुआ । जुलाई 1997 से जनवरी 1999 तक की अवधि की समयवृद्धि का, तथापि, अभी भी मंडल द्वारा अनुमोदन किया जाना था (जुलाई 2002) ।

एक असफल ठेकेदार पर शास्ति आरोपिता नहीं करने के कारण ठेकेदार को अनुचित पक्षपात ।

ठेके के अधीन कार्य के मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर शास्ति या निर्धारित तिथि पर शेष अपूर्ण कार्य की प्राक्कलित मूल्य की 2.5 प्रतिशत जो भी अधिक हो शास्ति आरोपित की जानी थी एवं चल लेखा देयकों (67 वां से 79 वां चल लेखा देयकों) से कटौती करना था । शास्ति की राशि 27.83 लाख रूपये संगणित होती है जिसकी कटौती नहीं की गई।

यह देखा गया कि मंडल ने इस अवधि हेतु ठेकेदार को 3.43 करोड़ रूपये की मूल्यवृद्धि का भुगतान किया, जबकि मूल्यवृद्धि मंडल द्वारा समय वृद्धि अनुमोदन करने के उपरांत ही भुगतान योग्य थी। इसलिए मंडल द्वारा उपरोक्त अवधि हेतु समय वृद्धि का अनुमोदन लंबित रहते हुये मूल्यवृद्धि राशि 3.43 करोड़ रूपये का भुगतान अवांछनीय था। 27.83 लाख रूपये के दंड की कटौती नहीं करना तथा मंडल द्वारा समय वृद्धि के लंबित अनुमोदन के रहते 3.43 करोड़ रूपये का मूल्यवृद्धि का भुगतान अनियमित एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ देने के समान था।

प्रकरण शासन /मंडल को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2002); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसंबर 2002)।

रायपुर **(प्रेमन दिनाराज)**
दिनांक– **महालेखाकार छत्तीसगढ़**

प्रतिहस्ताक्षर

नई दिल्ली **(विजयेन्द्र नाथ कौल)**
दिनांक– **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**